न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/8

मिसल नम्बर– 4/2025

1.किरण काबरा आयु 64 वर्ष पत्नी स्व0 श्री विजय कुमार काबरा निवासी फ्लेट नम्बर ए 102 शक्ति नगर चम्बल अपार्टमेन्ट चम्बल गॉर्डन रोड दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.मनीष काबरा पुत्र श्री विजय काबरा आयु 42 वर्ष निवासी 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा

2.मोनिका काबरा पत्नी श्री मनीष काबरा पुत्री श्री सत्यनारायण सोनी निवासी 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–

1.अरूणा पाटनी अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री वीरेन्द्र कुमार राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

3.श्री विवेक अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु है। प्रार्थीया व उसके पति ने अप्रार्थीगण का दिनांक– 29.06.2006 को विवाह किया था, उस दौरान प्रार्थीया व उसके पति प्लाट नम्बर– 7–बी, स्मॉल स्केल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा में निवास करते थें, उक्त मकान प्रार्थीया के पति का हैं, लेकिन विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थी क्रम 2 का प्रार्थीया व उसके पति के साथ असम्मानजनक व्यवहार रहा, और अप्रार्थी क्रम 1 भी अप्रार्थी क्रम 2 को सहयोग करता था, उपरोक्त अप्रार्थी क्रम 2 ने विवाह के कुछ समय पशत् ही प्रार्थी व उसके पति को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देना प्रारम्भ कर दिया, तथा खाना खुराक देना बन्द कर दिया। तथा प्रार्थीया की पुत्री व दामाद के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने लग गये, और उनके उक्त कृत्यों के कारण प्रार्थीया व उसके पति ने पृथक फ्लेट नम्बर– 102–ए, 664, चम्बल अपार्टमेन्ट, शक्ति नगर, चम्बल गार्डन रोड, दादाबाडी, कोटा, में स्थित फ्लेट में पृथक निवास करने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लग गये। ताकि प्रार्थीया व उसके पति अपना शान्ति से वृद्दावस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। उक्त प्लाट नम्बर– 7–बी, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया, छावनी, कोटा लगभग 581 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हैं। जिसमें गोडावन, टावर, दो मंजिला मकान बना हुआ हैं। व सम्पर्ण मकान में अप्रार्थीगण निवास करते है, जबकि उक्त मकान प्रार्थीया के पति का हैं। जो कि लगभग 4000 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित हैं, कुल दो मंजिला निर्मित होने से 8000 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित है। प्रार्थीया के पति का दिनांक– 17.04.2023 को देहान्त हो गया हैं, पति के देहान्त के पश्चात प्रार्थीया अकेली निवास कर रही थी, लेकिन वृद्दावस्था व उसकी बीमारी के कारण प्रार्थीया ने अपनी दोहिती को अपने साथ रख रखा हैं। अप्रार्थीगण ने कुरतापूर्ण व्यवहार, लडाई झगडा कर एवं झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर प्रार्थीया व उसके पति को उनके स्वयं के मकान में निवास नही करने दिया। प्रार्थीया वर्ष 2012 से उक्त फ्लेट में निवास कर रही हैं, प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया अकेली हो गई हैं, उसका आमदनी का कोई जरिया नही हैं, प्रार्थीया जब भी मकान में जाने के लिये प्रयास करती, तो अप्रार्थी कम– 2, प्रार्थीया को मकान में प्रवेश नही करने देती, और ना ही प्रार्थीया व उसकी पुत्री व दामाद को आने देती हैं, प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् उसके पास आय का भी अन्य कोई स्त्रोत नही हैं। अब प्रार्थी, अप्रार्थी से अपने जीवन निर्वाह हेतु 25,000/– रूपये मासिक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कुछ समय से अप्रार्थीगण के मध्य अत्यधिक विवाद हैं, और जिसके बाबत् न्यायालय में तलाक की कार्यवाही भी लम्बित हैं। अप्रार्थीया कम 2 मोनिका काबरा प्रार्थीया को भी धमकी देती है कि उक्त मकान अप्रार्थी कम– 2 के नाम करों, नही तो प्रार्थीया का एक्सीडेन्ट करबा दुंगी। और टेलीफोन पर भी अप्रार्थी का मोबाइल पर भी धमकी देती है। प्रार्थीया 64 वर्षीय विधवा महिला है, उक्त सम्पत्ति प्रार्थीया के पति की अर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक के साथ सम्पत्ति को हड़पने की नियत से शारीरिक, मानसिक यातनायें व कुरतापूर्ण व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी एवं सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। जिसके कारण प्रार्थीया भयभीत हैं। प्रार्थीया को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करायें, तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को 25,000/– रूपये माहवार दिलवाये जावें। तथा उन्हे पाबन्द करवाये कि वह प्रार्थीया को उक्त मकान में आने–जाने, उपयोग–उपभोग करने व प्रार्थीया की पुत्री व दामाद को उक्त मकान में आने से नही रोके। इस कारण प्रार्थीया के पास उक्त परिवाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जावे। तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से 25,000/– रूप्ये मासिक दिलवाये जावे। तथा उन्हे पाबंद करवाये कि वह प्रार्थीया को उक्त मकान में आने जाने उपयोग उपभोग करने व प्रार्थीया की पुत्री व दामाद को उक्त मकान में आने से नही रोके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी कम– 2 ने अप्रार्थी कम– 1 से भी लडाई झगडा कर

उपखण्ड अधिकारी
को

उसे मकान से बेदखल कर दिया, तथा कब्जा कर लिया, मकान में स्थित दुकान के गोडावन में ताला लगा दिया, तथा मकान पर जाने पर पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा में धारा– 107, 151 सी.आर. पी.सी. में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी हैं, तथा अप्रार्थी कम 1 को भी पाबन्द करवाती हैं प्रार्थीया के साथ भी लडाई झगडा करती हैं। प्लाट नम्बर 7–बी, स्मॉल स्केल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा में स्थित गोदाम व मकान एवं रिलायन्स टावर आदि पर कब्जा कर रखा हैं, जिसमें अप्रार्थी कम 1, रिलायन्स कम्पनी के इन्जीनियर व अप्रार्थी कम 1 के कर्मचारियों को गोडावन से माल निकालने पर अप्रार्थी कम 2 लड़ाई झगडा करती है। अप्रार्थी कम 2 के कुरतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रार्थीया वर्ष 2012 से पृथक निवास कर रही हैं। अप्रार्थी कम 2, अप्रार्थी कम 1 व प्रार्थीया को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिये प्रयासरत रही हैं। उक्त मकान पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 1 को नही आने देती हैं। उक्त मकान 7–बी, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा में भी अप्रार्थी कम 2 ने कब्जा कर किरायेदारो से किराया वसूल कर रही हैं। अप्राथी कम 1 का व्यापार भी प्रभावित कर रखा हैं। मकान में स्थित गोडावन में रखे लाखो रूपये के माल को निकालने नही देती हैं। लडाई झगडा करने व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती है। प्रार्थीया की आय का कोई स्त्रोत नही है। अप्राथी कम 2 ने प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 1 को कई मर्तबा धमकी दी है। अप्रार्थी कम 2 उक्त मकान 7–बी, स्मॉल इण्डस्ट्रीयल एरिया में कब्जा कर प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 1 को बेदखल कर दिया हैं, अप्रार्थी कम 2, उक्त मकान को स्वयं के नाम करवाने हेतु दबाव बनाती हैं, तथा उक्त मकान को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी कम 2 में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं, तथा बहिन व जीजा को भी नही आने जाती है। अप्रार्थी कम 1 हेसियत के अनुसार प्रार्थीया को सहयोग करता है। लेकिन अप्रार्थी कम 2 ने सम्पत्ति व सम्पत्ति की आमदनी पर कब्जा कर रखा हैं, किरायेदारो से भी किराया वसूल करती हैं। और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नही करती है। अतः जवाब प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थी कम 2 को बेदखल किया जावें। तथा मकान में आने–जाने से प्रार्थीया को नही रोके। प्रार्थना स्वीकार है।

अप्रार्थीगण 2 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नही किया गया अतः अप्रार्थी नं0 2 का जवाब का अवसर बंद किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीया कम 2 द्वारा उपस्थित होने के बावजूद ना तो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ना ही बहस की गई जो यह प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीया कम 2 को हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में न्यायालय से कुछ नही कहना है। उक्त परिस्थितियो में जबकि अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया है जिस कारण हम प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जाना न्यायोचित पाते है। अतः प्रार्थीया किरण काबरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 व 24 दी मेन्टिनेन्स वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा से बेदखल किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे हस्तगत मकान का कब्जा अन्दर 15 योग प्रार्थीया को सुपुर्द करें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये सम्बंधित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें एवं साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुये आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली–गलौच नहीं करें। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 10,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा